

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2015—श्रावण 9, शक 1937

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2015

अधि. क्र. 140-एफ F1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, कोटर, जिला सतना के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

### अनुसूची

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 04 संत विनोवा वार्ड 07 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 इंदिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	10 कस्तुरबा वार्ड 11 स्वामीविवेकानन्द वार्ड 12 मोतीलाल नेहरू वार्ड 15 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 04 सन्त विनोवा वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	12 मोतीलाल नेहरू वार्ड 15 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	05 आजाद चन्द्रशेखर वार्ड 13 सरदार भगत सिंह वार्ड 06 महात्मा गांधी वार्ड 01 सरदार पटेल वार्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.